(22)

परिषद् के मुख्यालय 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ में दिनांक 26 नवम्बर, 1975 को 3-15 बजे अपरान्ह में हुई उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद् की वर्ष 1975 की पाँचवी बैठक का कार्यवृत्त

निम्नलिखित उपस्थित थे :-

1- श्री वी0एस0कटारा	अध्यक्ष एवं आवास आयुक्त	सदस्य
2- श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित		सदस्य
3- श्री राज बहादुर द्विवेदी		सदस्य
4- श्री सत्तार अहमद		सदस्य
5- श्री आर0आर0शाह	प्रशासक, नगर महापालिका, लखनऊ	सदस्य
6- श्री एस0के0महरोत्रा	विशेष वित्त सचिव, वित्त विभाग (वित्त सचिव के प्रतिनिधि)	सदस्य
7- श्री जे0पी0दुबे	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य

कार्य आरम्भ करने के पूर्व अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि लखनऊ स्थित 'इन्दिरा नगर कालोनी' के शिलयन्यास संबंधी कार्यों में सभी के व्यस्त रहने के कारण तथा एक आध माननीय सदस्य के अनुरोध के कारण यह मीटिंग पिछली मीटिंग से 60 दिन के अन्दर नहीं रखी जा सकी।

2- बैठक की कार्यवाही पर विचार-विमर्श के पश्चात् निम्नलिखित निर्णय लिये गये :

क्र0सं0	विषय	संकल्प संख्या	निर्णय
1)	परिषद् की दिनांक 20 सितम्बर, 1975 को हुई वर्ष 1975 की चतुर्थ बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।	V/(1)/75	परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
2)	परिषद् की वर्ष 1975 की चतुर्थ बैठक दिनांक 20 सितम्बर, 1975 के कार्यवृत्त की अनुपालन रिपोर्ट।	V/(2)/75	परिषद् ने वर्ष 1975 की चतुर्थ बैठक दिनांक 20 सितम्बर, 1975 के कार्यवृत्त के अनुपालन रिपोर्ट का अवलोकन किया।
3)	मेरठ की आवासीय योजनाओं में सर्वश्री कालीचरन सत्य प्रकाश, ठेकेदारों द्वारा किये गये कार्यों के सम्बन्ध में।	V/(3)/75	परिषद् ने मेरठ की आवासीय योजनाओं में सर्वश्री कालीचरन सत्य प्रकाश, ठेकेदारों द्वारा किये गये कार्यों के बारे में प्रस्तुत की गयी टिप्पणी का अवलोकन किया तथा उस पर निम्नलिखित निर्णय लिया ~~गया~~ :- 1) 'सेन्ट्रल बिल्डिंग रिसर्च इन्स्टीच्यूट' की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् जाँच-पड़ताल हेतु जो समिति गठित की गयी है उसकी रिपोर्ट स्वत: स्पष्ट होनी चाहिये और उसमें दुबे कमेटी तथा 'सेन्ट्रल बिल्डिंग रिसर्च इन्स्टीच्यूट' की रिपोर्ट में उल्लिखित ~~खास खास बातों~~ का उल्लेख होना चाहिये। 2) समिति की रिपोर्ट दो भागों में होनी चाहिये ~~[illegible]~~ पहले भाग में इस बात पर संस्तुति होनी चाहिये कि जिन भवनों का निर्माण हो चुका है या जिनके लिये

क्र0पृ0उ0

(द्वारका नाथ टण्डन)
उप आवास आयुक्त एवं सचिव।

(23)

1	2	3	4
			नींव डाली जा चुकी थी उनके संबंध में 'सेन्ट्रल बिल्डिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट' की रिपोर्ट देखते हुये क्या कार्यवाही की जाय और दूसरे भाग में यह संस्तुति होनी चाहिये कि जो जो अधिकारी/कर्मचारी ठेकेदारों द्वारा किये गये खराब कार्यों के लिये जिम्मेदार है उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाय। यह भी निर्णय लिया गया कि पहले भाग की रिपोर्ट अविलम्ब प्रस्तुत की जाय ताकि किये गये निर्माणों के संबंध में शीघ्रातिशीघ्र अग्रिम कार्यवाही की जा सके। दूसरे भाग की रिपोर्ट बाद में दी जा सकती है। 3) यह आवश्यक है कि ठेकेदारों के विरुद्ध लिमिटेशन समाप्त होने के पूर्व ही न्यायालय में आवश्यक कार्यवाही कर ली जाय। अतः इस संबंध में विधिक राय तुरन्त प्राप्त की जाय और इस बात को देख लिया जाय कि लिमिटेशन कब समाप्त हो रहा है और उसके पूर्व ही आवश्यक कार्यवाही कर ली जाय।
4)	वर्तमान समय में परिषद के खण्डों व उपखण्डों की स्थिति उनका कार्यभार तथा खण्डीय स्टोर एवं उसके मूल्य का विवरण।	V/(4)/75	परिषद ने प्रस्तुत की गई खण्डों तथा उपखण्डों की स्थिति, उनका कार्यभार तथा खण्डीय स्टोर एवं उसके मूल्य के विवरण का अवलोकन किया और निम्नलिखित निर्णय लिया :- 1) स्टाक यथा सम्भव वार्षिक आवश्यकताओं के 10% से 20% से अधिक नहीं होना चाहिये और अधीक्षण अभियन्ता इस बात को भी देखें कि स्टाक में कोई ऐसी सामग्री तो नहीं पड़ी हुई है जो छः माह से बेकार पड़ी है और अगले छः माह में भी उपयोग में नहीं आ पायगी। 2) परिषद की बैठक में यह भी प्रस्तुत किया जाय कि पिछले 3 वर्षों में प्रत्येक खण्ड तथा उप-खण्ड दोनों में अलग अलग, क्या वर्कलोड रहा और क्या कार्य किया गया।
5)	लीज पर दी जाने वाली भूमि के किराये का लागू किया जाना।	V/(5)/75	परिषद ने लीज रेन्ट पर दी जाने वाली भूमि के किराये के संबंध में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि जहां प्रीमियम बढ़ा दिया गया है वहां घटा हुआ लीज रेन्ट केवल नये आवंटियों से लिया जाय। जहां प्रीमियम बढ़ाया नहीं गया है वहां घटे हुये लीज रेन्ट का लाभ पहिले आवंटियों को भी दिया जाय।
6)	खण्डों एवं वृत्तों की समाप्ति के फलस्वरूप अतिरिक्त स्टाफ का पूर्ण विवरण।	V/(6)/75	परिषद ने प्रस्तुत किये गये खण्डों एवं वृत्तों के समाप्त होने के फलस्वरूप अतिरिक्त स्टाफ के विवरण का अवलोकन किया।
7)	बरेली-पीलीभीत मार्ग पर भूमि विकास योजना, बरेली में समाविष्ट क्षेत्र में स्थित श्री कन्हैया लाल वगैरह की भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में।	V/(7)/75	परिषद ने बरेली-पीलीभीत मार्ग पर भूमि विकास योजना, बरेली के समाविष्ट क्षेत्र में स्थित श्री कन्हैया लाल आदि की भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि इनकी लगभग एक एकड़ भूमि ले-आउट में समायोजित करते हुये मुआविजे की दर पर ही इनको आवंटित कर दी जाय। इस एक एकड़ में भवन आदि सब शामिल है।
8)	सेवाकाल में आकस्मिक मृत्यु हो जाने के उपरान्त परिषद के अधिकारी/कर्मचारी के आश्रितों को आवंटित भूखण्ड/भवन के मूल्य में छूट।	V/(8)/75	परिषद ने यह निर्णय लिया कि परिषद के किसी अधिकारी/कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके आश्रित जिस वर्ग में आते हों उसी वर्ग के भवन/भूखण्ड उन्हें आवंटित होने चाहिये और ऐसी अवस्था में उन्हें मूल्य में छूट भी दी जाय। श्रीमती शकुन्तला पाल, विधवा श्री जंग बहादुर ने उस वर्ग के भवन

(द्वारिका नाथ टण्डन)
[illegible] सचिव

1	2	3	4
			के लिये जिसके लिये यह पात्र है से उच्च वर्ग का भवन लिया है । अतः उन्हें कोई छूट नही दी जा सकती ।
9)	परिषद् के आन्तरिक सम्परीक्षण अनुभाग का पुनर्गठन ।	V /(9)/75	परिषद् ने सर्वसम्मति से आन्तरिक सम्परीक्षण अनुभाग के पुनर्गठन के संबंध में प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव को स्वीकार किया ।
10)	परिषद् के कार्यकलापों के सम्बन्ध में ।	V /(10)/75	परिषद् द्वारा परिषद् के कार्य कलापों के संबंध में प्रस्तुत किये गये ब्यौरे का अवलोकन किया गया तथा उस पर विचार-विमर्श करने के पश्चात् सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि इस संबंध में विस्तृत विचार पुनः परिषद् की अगली बैठक में किया जायगा ।
11)	परिषद् द्वारा निर्मित समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के भवनों के आवंटन में समाज के दृष्टिहीनों के लिये विशेष आरक्षण ।	V /(11)/75	परिषद् ने सर्वसम्मति से परिषद् द्वारा निर्मित समाज के आर्थिक दृष्टि से दुर्बल वर्ग के भवनों के आवंटन में समाज के दृष्टिहीनों के लिये विशेष आरक्षण पर विचार स्थगित कर दिया ।
12)	शासन की गारेन्टी बगैर रु० 50 लाख के ऋण पत्र जारी करने की अतिरिक्त स्वीकृति ।	V /(12)/75	परिषद् ने सर्वसम्मति से शासन की गारेन्टी बगैर रु० 50 लाख के ऋण पत्र जारी करने की अतिरिक्त स्वीकृति प्रदान किया तथा 10% तक अधिक धन प्राप्त करने के अधिकार को सुरक्षित रखने का भी अनुमोदन प्रदान किया । ।
13)	सार्वजनिक उद्योग स्पोर्टस नियंत्रण बोर्ड को रु० 1,000/=प्रतिवर्ष चन्दा देने के सम्बन्ध में ।	V /(13)/75	परिषद् ने सर्वसम्मति से सार्वजनिक उद्योग स्पोर्टस नियंत्रण बोर्ड को रु० 1,000/= प्रतिवर्ष चन्दा, विचार-विमर्श के पश्चात् देना स्वीकार किया ।
14)	डिजाइन संगठनों के अधिकारियों/कर्मचारियों को देय भत्ता के सम्बन्ध में ।	V /(14)/75 * उनसे	परिषद् ने डिजाइन संगठनों के अधिकारियों/कर्मचारियों को देय भत्ता के संबंध में प्रस्तुत टिप्पणी पर विचार-विमर्श करते हुये सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि जिन अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा यह भत्ता आहरित किया जा चुका है उसके बारे में शासन को लिखा जाय कि इसकी* वसूली न की जाय और इसकी कार्योत्तर औपचारिक स्वीकृति दे दी जाय । साथ ही साथ यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में यह भत्ता ऐसे अधिकारियों को ही दिया जाय जो केवल डिजाइन कार्य करते हों । अध्यक्ष महोदय ने बताया कि अब यह भत्ता नवम्बर 1, 1975 से ऐसे अधीक्षण अभियन्ताओं को जो केवल डिजाइन कार्य नही कर रहे हैं देना बन्द कर दिया गया है ।
15)	परिषद् की योजनाओं हेतु हुडकों द्वारा स्वीकृत ऋणों पर उप-समिति का निर्णय ।	V /(15)/75	परिषद् ने इन योजनाओं हेतु हुडकों द्वारा स्वीकृत ऋण पर उप-समिति के निर्णय का अवलोकन किया ।
16)	हुडकों द्वारा परिषद् की योजनाओं के सम्बन्ध में ।	V /(16)/75	परिषद् द्वारा, टिप्पणी में प्रस्तुत किये गये हुडकों द्वारा स्वीकृत परिषद् की योजनाओं के विवरण का, अवलोकन किया गया । सर्वसम्मति से योजनाओं की स्वीकृति दी गई ।
17)	देहरादून रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, रुड़की ।	V /(17)/75	परिषद् द्वारा देहरादून रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, रुड़की को परिषद् अधिनियम की धारा 31(2) के अन्तर्गत शासन की स्वीकृति हेतु अग्रिम कार्यवाही करने की, सर्वसम्मति से, अनुमति प्रदान की गई ।
18)	रिंग रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-1, मुजफ्फरनगर ।	V /(18)/75	परिषद् द्वारा 'रिंग रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-1, मुजफ्फरनगर' को परिषद् अधिनियम धारा 31(2) के अन्तर्गत शासन की स्वीकृति हेतु

(हरिकांत मोहन टण्डन)
उप आवास आयुक्त एवं सचिव

1	2	3	4
			अग्रिम कार्यवाही करने की, सर्वसम्मति से, अनुमति प्रदान की गई ।
19)	दिल्ली रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-1, हरिद्वार के प्राक्कलन का परिषद् के अधिनियम धारा 31 के अन्तर्गत स्वीकृति का प्रस्ताव ।	V /(19)/75	परिषद् द्वारा 'दिल्ली रोड भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-1, हरिद्वार को परिषद् अधिनियम की धारा 31(2) के अन्तर्गत शासन की स्वीकृति हेतु अग्रिम कार्यवाही करने की, सर्वसम्मति से, अनुमति प्रदान की गई ।
20)	परिषद् के अनुमोदनार्थ वित्तीय वर्ष 1972-73 एवं 1973-74 के वार्षिक लेखे (बैलेन्स शीट) ।	V /(20)/75	परिषद् ने प्रस्तुत किये गये बैलेन्स शीट पर विचार अगली बैठक के लिये स्थगित कर दिया ।
21)	परिषद् में 'डायरेक्टर आफ वर्क्स' की नियुक्ति के संबंध में ।	V /(21)/75	परिषद् ने, परिषद् में 'डायरेक्टर आफ वर्क्स' की नियुक्ति के संबंध में प्रस्तुत की गयी टिप्पणी पर विचार-विमर्श के करने के पश्चात् निम्नलिखित निर्णय लिया :- एक 1) परिषद् के अधीक्षण अभियन्ता के पद का पद नाम 'डायरेक्टर आफ वर्क्स' कर दिया जाय और एक अधीक्षण अभियन्ता को इस पद पर नियुक्त कर दिया जाय । 2) जिस अधीक्षण अभियन्ता को 'डायरेक्टर आफ वर्क्स' बनाया जाय उसे परिषद् कार्यहित में आवास आयुक्त उन ~~अतिरिक्त~~ अधिकारों को, जिन्हें उचित समझें प्रतिनिधान कर सकते है । 3) 'डायरेक्टर आफ वर्क्स' को रु0 200/- प्रतिमास विशेष वेतन देय होगा । प्रतिनियुक्ति पर आये हुये किसी अधिकारी को यह विशेष वेतन शासन/वित्त विभाग की स्वीकृति के पश्चात् ही देय होगा । इस सम्बन्ध में परिषद् ने आवास आयुक्त के इस मन्तव्य का अनुमोदन किया कि साथ ही शासन से पुनः इस बारे में अनुरोध किया जाय ।

========

(द्वारका नाथ टण्डन)
उप आवास आयुक्त एवं सचिव